फोन न. : 01267-271350 (O), न. : 01267-274755 (FAX)
Email ID-spmwt@hry.nic.in

पुलिस विभाग | जिला नूंह

कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूंह
भर्ती सूचना

हरियाणा पुलिस अधिनियम-2007 की धारा-21 के तहत नूंह पुलिस में 120 विशेष पुलिस अधिकारियों के चयन हेतु प्रक्रिया

(फोन नं : 01267-271350)

पद का नाम	पदों की संख्या	सारणी	तिथि व चयन
विशेष पुलिस अधिकारी (SPO)	रिक्त पद-120	कार्यालय जिला निरीक्षक कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूंह में आवेदन करने की तिथि	03.05.2025 से 09.05.2025
		साक्षात्कार	13.05.2025

जिला पुलिस नूंह में 120 स्पैशल पुलिस ऑफिसर (SPO) विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए दिनांक 09.05.2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, HISF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी तथा 2004 में हरियाणा शस्त्र बल (HAP) के हटाए गए कर्मचारियों में से जिला नूंह पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के तौर पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती के इच्छुक आवेदक निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दिनांक 09.05.2025 तक कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूंह में आवेदन कर सकते हैं।

1. विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) की भर्ती के लिए हरियाणा के किसी भी जिले का रिहायशी या पड़ोसी राज्यों के रिहायशी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन दिनांक 09.05.2025 तक व्यक्तिगत रूप से कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूंह में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं और अपने आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। योग्य उम्मीदवार आवेदन अपने साथ 4 फोटो पासपोर्ट साईज के, शिक्षा, सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र, मूल रिहायशी प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया गया मैडीकल फिटनैस प्रमाणपत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूंह में भर्ती कमेटी के सदस्यों से संपर्क उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी लेकर आएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूंह में भर्ती कमेटी के सदस्यों से संपर्क करे। योग्य उम्मीदवार अपने साथ उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी लेकर आए।
3. चयनित उम्मीदवार को 20,000/ रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार के वेतन से ड्यूटी के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन में नि:शुल्क यात्रा करने के संबंध में 120/- रुपए प्रतिमाह काटा जाएगा
4. सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि उनकी आयु 25 साल से 50 साल तक के बीच की होनी चाहिए।
5. किसी भी उम्मीदवार को अनुशासनहीनता या मैडीकल के आधार पर पूर्व में नौकरी से न हटाया गया हो।
6. भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में कम से कम 5 वर्ष तक सेवाएं दी गई होनी चाहिएं।
7. चयनित SPO/ कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए 20,000/- रुपए के मासिक मानदेय पर रखे जाएंगे। इस राशि को विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
8. चयनित उम्मीदवारों को भर्ती के समय दो जोड़ा वर्दी, एक जोड़ा जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से संबंधित वस्तुओं के लिए 3000 रुपए केवल एक बार दिए जाएंगे।
9. सरकारी दौरे पर 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से TA/DA दिया जाएगा।
10. आकस्मिक अवकाश हरियाणा पुलिस के सिपाही के समान दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर दिए जाएंगे।
11. भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक माप-तौल नहीं होगा।
12. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
13. विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को आपातकालीन स्थिति में हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।
14. चयनित विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को 15 दिन का पुलिस लाईन नूंह में पुलिस ड्यूटी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इनको कानून व्यवस्था डयूटी, गार्द डयूटी, पैट्रोलिंग, यातायात और पुलिस से संबंधित अन्य ड्यूटियों पर तैनात किया जा सके।
15. इस संबंध में हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतें लागू होंगी।
16. चयन के लिए साक्षात्कार में आने वाले उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (T.A/D.A) नहीं दिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक
नूंह

PRDH/1084/11/3332/2026/34416/218/6